

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्रों के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पदनाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	दीपक कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2025
2.	दीपिका गुर्जर	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2025
3.	कमल किशोर मोदी	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2025
4.	प्रिया अग्रवाल	कनिष्ठ विधि अधिकारी पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2025
5.	सरिता बिरड़ा	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2025
6.	जयदीप सिंह देवड़ा	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय खनि अभियंता (रिट्स), जोधपुर	सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025

शर्तें—

- उक्त पद पर चयन होने पर ये नियमानुसार कार्यमुक्त होकर जायेंगे।
- चयन उपरान्त नवीन पद पर पदभार ग्रहण करने की स्थिति में नियमानुसार ही ग्रहणाधिकार रखा जायेगा।
- परीक्षा तिथि के अतिरिक्त तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित कार्मिक/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :06-10-2025 05:40:50

**RajKaj Ref No.:
18109989**

eSign DSC